

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 492/2018 वाद

माधुलाल पिता नानालाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी बडोली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा।

- वादी

//बनाम//

1. हीरालाल पिता नानालाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी बडोली माधोसिंह।
2. मगनीराम पिता नानालाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी बडोली माधोसिंह।
3. सुरेशचन्द पिता नानालाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी बडोली माधोसिंह।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 रा0का0अधि0

प्रकरण में दिनांक 08.07.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/11/502 दिनांक 04.09.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा बडोली माधोसिंह का विभाजन फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- मगनीराम, सुरेश चन्द पिता नानालाल डांगी सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
85	0.8200	9.84
1485/85	0.5400	6.48

.....  
कुल किता 2 कुल रकबा 1.3600 हैक्टेयर कुल लगान 16.32 रूपये  
.....

2- माधुलाल पिता नानालाल डांगी, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
97	0.9000	10.80
108	0.5300	6.36

.....  
कुल किता 2 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर कुल लगान 17.26 रूपये  
.....



इसी प्रकार ग्राम भट्ट कोटडी की आराजीयात का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है-

- |   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| 1- हीरालाल पिता नानालाल डांगी, सा. बडोली माधोसिंह के रहेगी- |                   |                |
| आराजी नं.   | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
| 914/831   | 0.0700            | 0.2424         |
| 2- माधुलाल पिता नानालाल डांगी, सा. देह के रहेगी:-           |                   |                |
| आराजी नं.   | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
| 971/914/831   | 0.0600            | 0.2076         |

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 12.02.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।



(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

